

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 27 अगस्त, 2019

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11781/श्री के. सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(96), सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11782/श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0(97), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11783/श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0(98), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11784/श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0(2002), आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री पंकज कुमार पाल अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11785/श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2003), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जॉब आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री लोकेश कुमार सिंह अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना एवं जॉब आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11786/श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0(2003), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11787/श्री प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0(एम एन : 2006), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

वेध

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11788/श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2006), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री चन्द्रशेखर सिंह अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11789/डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0(जी जे : 2008), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी(अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11790/श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0(2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राजीव रौशन अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका एवं जल जीवन हरियाली मिशन के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे एवं इस हेतु पद सृजित होने पर सृजित उक्त पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11791/श्री राहुल कुमार, भा0प्र0से0(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय(अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें पूर्णिया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राहुल कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11792/श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0(2012), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें बेगूसराय जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अरविन्द कुमार वर्मा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

अध्या

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11793/श्रीमती उदिता सिंह, भा0प्र0से0(2014), संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें वैशाली, हाजीपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती उदिता सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11794/श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बाँका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सीतामढ़ी जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।


2. श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11795/श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें समस्तीपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री शशांक शुभंकर अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11796/श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
27.8.19  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11796/पटना-15, दिनांक: 27 अगस्त, 2019  
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री

सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.8.19

(कन्हैया लाल साह)  
सरकार के अवर सचिव।